भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/16/2018 दिनांक: 09 फरवरी, 2018

<u>प्रेस नोट</u>

विषय: बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा तथा बिहार राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची - तत्संबंधी।

विभिन्न राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है:

क्रम सं.	**राज्य**	**संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम**
1	बिहार	9 - अररिया
2	उत्तर प्रदेश	51 - फूलपुर
		64 - गोरखपुर

बिहार राज्य विधान सभा में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है।

क्रम सं.	**राज्य**	**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम**
1	बिहार	205 - भभुआ
		216 - जहानाबाद

स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक नामवलियों, मौसमी परिस्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है:-

मतदान कार्यक्रम	**अनुसूची**
राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख	13.02.2018 (मंगलवार)
नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	20.02.2018 (मंगलवार)
नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख	21.02.2018 (बुधवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	23.02.2018 (शुक्रवार)
मतदान की तारीख	**11.03.2018 (रविवार)**
मतगणना की तारीख	14.03.2018 (बुधवार)
वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	16.03.2018 (शुक्रवार)

<u>निर्वाचक नामावली</u>

01.01.2018 के संदर्भ में बिहार की निर्वाचक नामावलियां पहले ही प्रकाशित कर दी गई हैं एवं उप-निर्वाचन में प्रयोग की जाएंगी। 01-01-2018 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की 51-फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 64-गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियाँ अंतिम रुप से 09.02.2018 को प्रकाशित कर दी गई हैं।

<u>इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी</u>

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि मतदान इन मशीनों की सहायता से सुचारू रूप से संचालित किए गए हैं।

<u>मतदाताओं की पहचान</u>

पहले की परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता उस स्थिति में अपने मताधिकार से वंचित न रहे, जब उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

<u>आचार संहिता</u>

आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं 437/6/अनु./2016-सीसीएस के द्वारा जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले (उन जिलों) में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

ह0/-
(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव